

राजस्थान-सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज0)
क्रमांक:- प्रार्थना पत्र /2023/ 122 दायर दिनांक 13/7/23

धारा 136 एल.आर.एक्ट
उत्नवान - रमेशनाथ जोगी पिता रतननाथ जोगी जाति जोगी नि0 तालाब के पास
पचपहाड़ तहसील पचपहाड़
बनाम
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर जिला झालावाड़ राज0

-: आदेश :- दिनांक 13/07/2023

प्रार्थी रमेशनाथ जोगी पिता रतननाथ जोगी जाति जोगी नि0 तालाब के पास पचपहाड़ तहसील पचपहाड़ के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों/रेकार्ड व पटवारी हल्का की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रायपुर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम नकलंग पटवार मण्डल माथनिया तहसील रायपुर की जमाबन्दी सम्वत 2072-75 में खाता संख्या 25 एवं 27 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि (प्रार्थी का नाम) को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्रम संख्या	ग्राम/ पटवार मण्डल/ तहसील	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी हैं)
1	ग्राम नकलंग पटवार मण्डल माथनिया तहसील रायपुर	25 व 27	श्याम पुत्र रतननाथ	रमेशनाथ पुत्र रतननाथ

क्रमांक:- राजस्व/2023/ 122

प्रतिलिपी निम्न को पालनार्थ हेतु प्रेषित हैं:-

तहसीलदार रायपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़
पिड़ावा, दिनांक 13/7/23

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़
पिड़ावा, दिनांक 13/7/23

